भारत-नेपाल धन प्रेषण सुविधा योजना
पर
बहुधा किए जानेवाले प्रश्न

भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

दूरभाष : ०२२-२२६४१६१०   फैक्स : ०२२-२२६५९५६६
ई-मेल : हशश्रविीाीऊीलळ.ौस.ळप

भारत-नेपाल धन प्रेषण सुविधा योजना
पर
बहुधा किए जानेवाले प्रश्न

प्र. १. भारत-नेपाल धन प्रेषण सुविधा योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उत्तर यह सीमा पार की जानेवाली एकतरफा धन प्रेषण सुविधा है जो भारत से नेपाल में धनप्रेषण को सरल बनाती है। कोई भी धनप्रेषक किसी भी एनईएफटी शाखा से नेपाल में ५०,००० भारतीय रुपये तक की निधि का अंतरण कर सकता है। हिताधिकारी नेपाली रुपये में निधि प्राप्त करेगा।

प्र. २. क्या धनविप्रेषक का भारत में किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है ?

उत्तर- आवश्यक नहीं है। कोई भी ग्राहक बैंक में जाकर नकद ५०,००० रु. जमा कर सकता है और यह धन हिताधिकारी को विप्रेषित कर सकता है।

प्र. ३.   क्या हिताधिकारी का नेपाल में किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है ?

उत्तर- यदि बैंक में उसका खाता हो तो अत्युत्तम, जिसमें राशि जमा की जाएगी। यदि हिताधिकारी दूर-दराज स्थान पर रहता है जहां इस योजनावाली बैंक की कोई शाखा नहीं है। नेपाल एसबीआई लि. ने नेपाल में एक धन अंतरण कंपनी के साथ गठबंधन किया है, जो हिताधिकारी को नकदी सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगा।

प्र. ४. धनप्रेषक द्वारा कौन से न्यूनतम दस्तावेज/पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं ?

उत्तर- यदि धनप्रेषण करनेवाले के पास खाता हो तो किसी अतिरिक्त पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा धनप्रेषक को पासपोर्ट/पैन/ड्राइविंग लाइसेन्स/टेलीफोन बिल/चित्र सहित नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे पहचान करनेवाले दस्तावेज प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना होगा। केवाईसी के मानदंडों के अनुसार यह सूचना प्रणाली में अभिलिखित की जाएगी। नेपाल के हिताधिकारी का पूरा पता और टेलीफोन /मोबाइल संख्या भी देने की जरूरित होगी।

प्र. ५. भारत से नेपाल में लेनदेन किस तरह होता है और लेनदेन पूरा होने में कितना समय लगता है ?

उत्तर- भारत में किसी भी एनईएफटी सुविधायुक्त शाखा से धनप्रेषण किया जा सकता है जिनकी संख्या इस समय लगभग ४४,००० है। लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखा से होगा जो उस दिन के दौरान प्राप्त उक्त धनप्रेषण सूचना क समेकन करेगा। दिन की समाप्ति पर यह धनप्रेषण सूचना नेपाल एसबीआई लि. को सुरक्षित ढंग से भिजवा दी जाएगी। नेपाल एसबीआई या तो बैंक खाते में जमा करने की व्यवस्था करेगा अथवा अपने धन अंतरणकर्ता एजेंट के माध्यम से हिताधिकारी को निधि सुपुर्द करेगा।

यदि हिताधिकारी के खाते के ब्योरे उपलब्ध हों तो नेपाल एसबीआई खाते में जमा करने की व्यवस्था करेगा। अन्यथा धनविप्रेषक से यूटीआर संख्या प्राप्त करने के बाद हताधिकारियों को धन अंतर□ण एजेंसी के बिक्री केंद्र से संपर्क रखना होगा। अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु उसे धनप्रेषक के ब्योरे और चित्र लगा पहचान दस्तावेज (सामान्यत: नागरिकता प्रमा□णपत्र) प्रस्तुत करना होगा। यदि हिताधिकारी एक सप्ताह तक भी धन अंतरण एजेंसी से संपर्क नहीं करता तो धन अंतरण एजेंसी धन भेजनेवाली शाखा को धनप्रेषण वापस भिजवाने की व्यवस्था करेगी।

प्र. ६. धनप्रेषण व्यवस्था के लिए कितना प्रभार लगता है ?

उत्तर- चूंकि यह योजना प्राथमिक रूपि से प्रवासी कर्मचारियों के लिए है अत: प्रारंभिक एक वर्ष के लिए रियायती प्रभार लिया जाता है। भारत में एनईएफटी सुविधायुक्त शाखा के किसी खाते से नेपाल एसबीआई में रखे गए किसी खाते में निधि का अंतरण करने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा। किंतु, इस व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि नेपाल एसबीआई को धन अंतरण एजेंट को भुगतान करना पडत है, इसलिए अन्य अंतरणों के लिए निम्नलिखित प्रभार देने होंगे :

(ळ) ५०००/- रु. तक प्रति धनप्रेषण पर ५०.०० रु. का एकसमान प्रभार लिया जाएगा। इसमें सेवा कर शामिल होगा।

(ळळ) ५०००/- रु. से अधिक से ५०,००० रु. तक प्रति धनप्रेषण पर ७५.०० रु. का एकसमान प्रभार लिया जाएगा। इसमें सेवा कर शामिल होगा।

धनप्रेषक से वसूली गई समूची राशि धनप्रेषण के एक अंश के रूप में नेपाल में प्रेषित की जाएगी और यह संदेश फार्मेट के अंश के रूपि में होगी।

प्र. ७. क्या लेनदेन की संख्या पर कोई प्रतिबंध है ?

उत्तर- हां। इस योजना के अंतर्गत किसी धनविप्रेषक को साल में अधिकतम १२ बार धनप्रेषण करने की अनुमति दी जाती है।

प्र.८. धनप्रेषण करनेवाले ग्राहक को नेपाल एसबीआई की शाखाओं और धन अंतरण एजेंट के विक्रय केंद्रों की जानकारी कैसे मिलेगी ?

उत्तर- नेपाल एसबीआई और धन अंतरण एजेंसी की अवस्थिति तथा उनके पते क्रियाविधि संबंधी दिशानिर्देशों में दिए गए हैं जो भारत में एनईएफटी वाली शाखाओं में उपलब्ध होंगे।

प्र. ९. हिताधिकारी को धन सुपुर्द न किए जाने की अवस्था में धनप्रेषक को निधि वापस कैसे मिलेगी ?

उत्तर धनप्रेषण की राशि एनईएफटी के माध्यम से भेजनेवाली शाखा को लौटा दी जाएगी और बैंक धनप्रेषण की वापसी के संबंध में धनप्रेषक को सूचित करेगा। यदि उसने नकदी धनप्रेषण किया हो तो राशि वापस प्राप्त करने के लिए उसे धनप्रेषण आवेदन के अधपन्ने के रूपि में धनप्रेषण करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यदि धनप्रेषण किसी खाते में नामे डालकर किया गया हो तो राशि संबंधित खाते में जमा कर दी जाएगी।

प्र. १०. शिकायतों के निवारण के लिए किससे संपर्क किया जाए ?

उत्तर शिकायत निवारण की विद्यमान क्रियाविधि के अनुसार शिकायतों पर संबंधित बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिकायतों के निवारण हेतु भारिबैंक ने एनसीसी, नरीमन पाइंट, मुंबई में एक डेस्क की भी स्थापना की है। भारत स्थित बैंकों से संबंधित शिकायतें डाक द्वारा निम्नलिखित को भेजी जा सकती हैं :

महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष
प्रथम तल, फ्री प्रेस हाउस
नरीमन पाइंट, मुंबई-४०० ०२७
अथवा ई-मेल : पशर्षीहशश्रविशीझ़ऽीलळ.ीस.ळप पर भेजी जा सकती हैं।